

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज

तारीख
हुकम

साप्ताहिक सत्र पर दिखी किया जाता न्यायसंगत
बोकर उपरि है। पत्रावली वारंते दिखी प्राथमिक
आदेश में दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

26/7/24

13⁸/₂₄



पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया एवं वादीया स्वयं ने
उपस्थित बोकर साक्षीता पत्र प्रस्तुत कर विवेक किया
गया कि वादीयाप्रकरण में धारा 88 खलेदारी घोषणा
को सहायता चाहती है। धारा 53 बंधवडा एवं खण्ड
निषेधाज्ञा की सहा को विट्टी कराना चाहती है। वादीया
को अध्यापन के साथ संतुलित खलेदार घोषित
किया जावे। इस पर वकील वादीया को एवं वादीया
को सुना गया वकील वादीया ने वादपत्र अन्तर्गत
धारा 53, 188 की सहा को विट्टी करना स्वीकार
किया गया इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत विवेक
प्राथमिक पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा
धारा 53, 188 को विट्टी की अनुमति दी जाती है।
पत्रावली वारंते आदेश मिनिय में दिनांक 10/9/24 को
पेश हो।

12/08/24

10⁹/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वादीया
द्वारा प्रस्तुत किमे गये वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस
प्रकार से है।
वादीया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188,
53 रजस्वला काररकारी क्षीघांतियम के उद्व प्रस्तुत
कर विवेक किया गया है कि ग्राम बरनेड में रवाहा
संख्या 530 में वर्णित आराजिमाह नम्बर 1835, 1835
व रवाहा संख्या 529 में वर्णित आराजी नम्बर 45
स्थित है जो वादीया को एवं सहिवादीगण की एक
खलेदार खलेदारी की है जिसमें वादीया का एक हिस्सा
बनता है। रवाहा संख्या 530 में वर्णित आराजिमाह
में वादीया का 1/8 एक हिस्सा व रवाहा संख्या 529
में वर्णित आराजी में वादीया का 1/2 एक हिस्सा

उपस्थित
हुंगला



बनने से इसी एक हिस्से
वाद पत्र पेश किया गया
पत्र को बाद जांच दर्ज
सम्मान नैतिक जरी किया
की ओर से श्री महलद वि
किया गया जवाब दे
तामीह उपस्थित नहीं होने
आदेश है। सहिवादी संर
साक्षीता पत्र अन्तर्गत आदेश
जिसकी नकल सहिवादी
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत
होता आदेश है इसलिए
क्यापे जागे हुए प्रस्तुत
1000 की स्वीकार
पत्रावली को शामिल पत्रावली
के अधिवक्ता वादपत्र
एक पक्षीय कार्यवाही व
वादीया 1/4 रवाहा व
पत्रावली को साक्ष्य के
का साक्ष्य पत्र आदेश
वादीया का बयान व
किमे गये दरूतविज
एक प्रस्तुत की गई
साक्ष्य वादी में गवा
अन्तर्गत व गवाह सं
आदेश 18 नियम 4
बयान कराये गये
करना चाहते हैं इस
एक पक्षीय बयान
कथन किया गया
की मरजी नम्बर
45 में 1/2 एक
वाद पत्र को स
अनुसार विभा
पत्रावली दिखी
की गई।

हुकमनामा न्याय
मिसल नम्बर : 68/20.

1. श्री रतनलाल पिता
हुंगला।

श्री उदयलाल पिता शंकर
हुंगला।

श्रीमती माया पिता शंकर लाल
हुंगला।

श्री रामकन्या पिता शंकर लाल
हुंगला।

मांगी बाई बेवा शंकर लाल
हुंगला।

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत आदेश
हुंगला

जनवान के प्रकरण में आप
शुनर नियुक्त किया जाकर
खाता संख्या 91 कुल
2 कुल आराजी 5 कुल र
पोर्ट उभय पक्षकारान क
हैं।

हस्ताक्षर एवं मोहर
गया।

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
दुबारा की तारीख
जासी हुए

प्राथमिक

तनगेरी इसी एक छिस्ते के अनुसार खतेदारी की घोषणा बाद
 वाद पत्र पेश किया गया है। बाकीया द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद
 पत्र को वाद जांच दर्ज नजिरदार किया जाकर महिलादीगण को
 राशत नोटिस जारी किया गया। महिलादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 8
 की ओर से श्री महमूद सिंह शबनाब एजोकेट द्वारा तमालनागा पेश
 किया गया जवाब देते अवसर प्राप्त गया। महिलादी संख्या 5 बावजूद
 तामील उपस्थित नहीं होने से इनके निकट एक पक्षिय कार्यवाही का
 आदेश है। महिलादी संख्या 7 के जीत हो जाने से वकील बादी ने
 माफीना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का पेश किया गया
 जिसकी नकल महिलादी अधिवक्ता को निलई गई। महिलादी अधिवक्ता
 माफीना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का जवाब नहीं
 देना चाहते हैं इसलिए संख्या 7 के तारिख रहने बाई को प्रकर
 कगने जागे हुए प्रस्तुत उए माफीना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम
 10 जा. दी. को स्वीकार किया गया तथा संशोधित राईरल पेश हुआ
 जिसको शामिल पत्रावली किया गया। महिलादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 8
 के अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके निकट
 एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। महिलादी संख्या 7
 वापरखान 1/7 रहने बाई से कोई अनुवीष नहीं प्राप्त गया है। तथा
 पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत की गई। साक्ष्य बाकीया में बाकीया
 का शपथ पत्र आदेश 19 नियम 4 जा. दी. का पेश हुआ जिस पर
 बाकीया का बयान कराये गये तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत
 किये गये दस्तावेज जमावली की नकली सदर 1 से लगायत 7
 तक प्रस्तुत की गई जिस पर सदर नगर डालकर सदर की गई।
 साक्ष्य बाकी में गवाह गेरुलाल पिता शंकर लाल मेघवल विवाही
 अखंड व गवाह शंकर लाल पिता भूरा लैंटर का शपथ पत्र अन्तर्
 आदेश 19 नियम 4 जा. दी. का पेश हुआ जिस पर गवाहों के
 बयान कराये गये। वकील बाकीया अब और कोई साक्ष्य पेश नहीं
 करना चाहते हैं इसलिए बाकीया की साक्ष्य बंद कर पत्रावली को
 एक पक्षिय नदस में नियत की गई। वकील बाकीया ने बहस में
 कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित अपराजियत में बाकीया
 की मरछी नम्बर 1835, 1836 में 1/8 एक छिस्ता व मारछी नम्बर
 45 में 1/2 एक छिस्ता की खतेदारी की घोषणा कर बाकीया का
 वाद पत्र को स्वीकार कर वाद प्रकरण में इसी एक छिस्ते
 अनुसार विभाजित करने हेतु प्राथमिक रूप से डिक्री किया जावे।
 पत्रावली डिक्री आदेश हेतु दिनांक 13-8-2024 को नियत
 की गई।

71



उपस्थित नजिरदारी
 नम्बर



माह 10 | 2024

दिनांक 13-8-2024 को वादीया एवं इनके अधिवक्ता ने उपरोक्त दौकर माथीना पत्र प्रस्तुत कर विवेक किया गया कि पत्रावली खाफ़ा होकर बहस आदिशा में है। वादीया बंटवाडा नहीं करना चाहती है तथा स्थायी निवेधादा की राह भी वर्तमान नहीं लेकर केवल धारा 88 खतिदारी घोषणा चाहती है। सिंगल की वस्था निवेधादा की राह को विट्टो करना चाहती है। इस सम्बन्ध में वकील वादीया को सुना गया वकील वादीया ने धारा 53, 188 की राह को विट्टो करने से सहमत है। इसलिये वादीया द्वारा प्रस्तुत छिमे गये माथीना पत्र को स्वीकार किया जागा है तथा धारा 53, 188 की राह को विट्टो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादीया को वादपत्र में बर्णित धारा 88 के तहत खतिदारी घोषित किया जागा उचित है। अतः वादीया का वादपत्र को स्वीकार किया जागा है तथा आर.के. की आराजी नम्बर 1835, 1836 में वादीया को 1/8 एक हिस्सा की व आराजी नम्बर 45 में 1/2 एक हिस्सा की खतिदारी घोषित करने की घोषणा की जाती है। उक्त पत्र अलग से मूर्खी दौकर सीलगा पत्रावली में। मिथिया खुले न्यायालय में सिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली केसल शुगा दौकर नम्बर लेकर
 है।
 उपखण्ड अधिकारी
 डूंगला

न्यायालय उपखण्ड

1. श्रीमति कमला बाई पुत्री मोर...
- वर्ष, निवासी रामनगर कच्ची...
- के पीछे चित्तौडगढ़, तह0...
1. श्री रामेश्वर (रमेश) पुत्र स्व...
- नारायणपुरा, तहसील भीण्ड...
2. श्री शान्तिलाल पुत्र स्व.
- नारायणपुरा, तहसील भीण्ड...
3. श्री सुरेश पुत्र स्व. लक्ष्मण...
- तहसील भीण्डर, जिला उ...
4. श्रीमति मांगी पत्नि स्व.
- नारायणपुरा, तहसील भीण...
5. श्री अम्बालाल पुत्र मोह...
- अरनेड, तहसील डूंगला,
6. श्रीमति केशी बाई पत्नि...
- निवासी अरनेड, तहसील...
7. श्री गंगाराम पुत्र पीथा...
- डूंगला, जिला चित्तौड...
- 1/7 श्रीमति रतनी...
- वयस्क, निवासी नाराय...
8. श्री शंकर पुत्र पीथा...
- डूंगला, जिला चित्तौ...
9. श्री भूमिधारी जरिये

11/1/2023
 814/24

हुकमनामा न्यायालय
 मिसल नम्बर : 68/2021

1. श्री रतनलाल पिता श...

श्री उदयलाल पिता शंकर...
 डूंगला।
 श्रीमती माया पिता शंकर लाल...
 डूंगला।
 श्री रामकन्या पिता शंकर लाल...
 डूंगला।
 मांगी बाई बेवा शंकर लाल...
 डूंगला।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ...

विवान के प्रकरण में...
 नियुक्त किया जा...
 बाता संख्या 91 कु...
 कुल आराजी 5 कु...
 उभय पक्षकारान...

हस्ताक्षर एवं म...